

प्रेस नोट दिनांक 10.09.2023

(1). आज दिनांक 10.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनांक 10.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 24 क्वार्टर देशी व 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). चौकी प्रभारी सरैया श्री हारुन रशीद खां तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुशील पुत्र कोदू कोल निवासी रम्पुरिया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी सरैया श्री हारुन रशीद खां
2. आरक्षी रोहित कुमार
3. आरक्षी चन्द्रभूषण राय

(ii). प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री राजेश कुमार राय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कुन्ती रैदास पुत्र भैरव प्रसाद निवासी भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 24 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री राजेश कुमार राय थाना सरधुवा
2. आरक्षी ललित सोनी
3. आरक्षी धर्मेन्द्र

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाने वाले अभियुक्त 1. रोहित पुत्र मुन्ना निवासी बाल्मीकी नगर 2. सोनू तिवारी 3. राजबहादुर 4. मोनू तिवारी पुत्रगण यदुराज निवासीगण इन्द्रानगर 5. सत्येन्द्र पुत्र धीरू 6. गुड्डू कोल पुत्र राजन कोल 7. छोटू पुत्र हुबलाल निवासीगण गोविन्द नगर 8. समीर पुत्र मनोज निवासी रामपुर कल्याणगढ़ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). आज दिनांक 10.09.2023 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय द्वारा थाना बहिलपुरवा का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, मालखाना, बंदीग्रह, थानाध्यक्ष कार्यालय, बैरिक, मैस का निरीक्षण कर थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह को साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा थाने के रजिस्ट्रों को अद्यावधिक करने हेतु एवं थाने पर मुकदमों से सम्बन्धित माल को निस्तारण करवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना रैपुरा पुलिस ने ट्रक चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी का ट्रक बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि 08.09.2023 को श्री हरिमोहन त्रिपाठी पुत्र स्व० अनुसूइया निवासी ग्राम भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी गई कि उनका 12 चक्का ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर UP 96 A 9750 राजनारायण मिश्रा की डंप की दुकान वाहद ग्राम भौरी में खड़ा था अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है, इस सूचना पर थाना में रैपुरा मु०अ०सं० 104/2023 धारा 379 भादवि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष रैपुरा को घटना के अनावरण हेतु तत्काल निर्देशित किया गया। थानाध्यक्ष रैपुरा शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय द्वारा मुकदमें की विवेचना एवं घटना के सफल अनावरण हेतु उ०नि० श्री रमेश सिंह यादव को लगाया गया। उ०नि० श्री रमेश सिंह यादव व उनके हमराही द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखबिर की सूचना पर तिसेनतुलापुर रोड के किनारे स्थित बाग थाना मांडा जनपद प्रयागराज से चोरी किए गए ट्रक UP 96A 9750 को बरामद किया गया तथा अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र छोटेलाल ग्राम डिघिया थाना मांडा जनपद प्रयागराज को सुरवा दालापुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे जीजा मिथलेश कुमार पुत्र स्व० कुलदीप कुमार निवासी अरैल मोड़ मकान न० 149/02 नैनी थाना नैनी जनपद प्रयागराज ने यह ट्रक चोरी करवाकर 02 लोगों के माध्यम से मेरे पास पहुँचाया था तथा इसे मैंने अपनी देखरेख में तिसेनतुलापुर रोड के किनारे बागीचे में खड़ा करवा दिया था ग्राहक मिलने पर हम लोग इसे बेच देते।

उपरोक्त चोरी के ट्रक की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411,414 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। मिथलेश कुमार उपरोक्त एवं उसके अन्य 02 साथियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

पंकज कुमार पुत्र छोटेलाल ग्राम डिघिया थाना मांडा जनपद प्रयागराज सुरवादलापुर

बरामदगी-

चोरी का ट्रक रजि० नं० UP 96A 9750

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी राममूरत मिश्रा

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा के मार्गदर्शन में राजापुर पुलिस टीम द्वारा 05 हजार के इनामिया शातिर अभियुक्त चोर को थाना राजापुर पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि मु०अ०सं० 186/023 धारा 457,380,411 भादवि० के अभियुक्त शारदा प्रसाद उपाध्याय पुत्र विनोद कुमार निवासी बूढ़ा सेमरवार थाना कर्वी जनपद चित्रकूट जो शातिर किस्म का चोर है जिसके विरुद्ध थाना कर्वी में 03 चोरियों के मामले दर्ज हैं जिनमें पूर्व में जेल जा चुका है इस व्यक्ति द्वारा थाना राजापुर अंतर्गत ग्राम चिल्लीमल के निवासी शंकर दयाल के घर में घुसकर 02 अदद मोबाइल फोन चोरी कर लिये गए थे जिन्हें सर्विलेंस की मदद से शक के आधार पर पूछताछ व जानकारी हेतु उक्त अभियुक्त को हेतु दिनांक 05.09.2023 को थाना राजापुर लाया गया था पूछताछ के दौरान ही यह शातिर चोर भाग गया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना राजापुर में 04 टीम गठित की गई

थी। उक्त टीमों में से उ0नि0 श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री के0डी0 मिश्रा आरक्षी मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त शारदा प्रसाद उपरोक्त को उसके घर ग्राम बूढ़ा सिमरवार से चोरी किए मोबाइल के साथ आज दिनांक 10.09.2023 को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 05 हजार रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था। इस आरोपी अभियुक्त के सह अभियुक्त को रामसिंह यादव को दिनांक 05.09.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

बरामदगी

01 अदद चोरी किया मोबाइल फोन

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री के0डी0 मिश्रा थाना राजापुर
3. आरक्षी मनोज कुमार

(8). आज दिनांक 10.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय की उपस्थिति में भाद्रपद आमावस्या के दृष्टिगत पंचायत भवन खोही में परिक्रमा मार्ग व उसके आस-पास रोड़ पट्टी पर दुकाने लगाने वाले व्यापारियों व सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गयी। महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ने वाले परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर अवैध रूप से रोड़पट्टी में लगी दुकानों को हटाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया तथा साथ ही परिक्रमा मार्ग में किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाए एवं मेले को सकुशल सम्पन्न कराने में व्यापारियों बन्धुओं से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने हेतु कहा गया।

गोष्ठी के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री गुलाब त्रिपाठी, चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण सिंह उपस्थित रहे।